2022 का विधेयक संख्यांक 186.

[दि न्यू दिल्ली इन्टरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टर (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र
अधिनियम, 2019 का संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

बृहत नाम का संशोधन ।

2. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के बृहत् नाम में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे । 2019 का 17

उद्देशिका का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की उद्देशिका में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय शीर्षक का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम के अध्याय 2 के अध्याय शीर्षक में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, "नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 15 में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों, माध्यस्थम् और अन्य प्रकार के विकल्पी विवाद समाधान तंत्रों के संचालन को सुकर बनाने ;"।

धारा 20 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) के परन्तुक में, "आवेदन" शब्द, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "प्रश्न" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "केन्द्र" शब्द के स्थान पर "सचिवालय" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 25 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (3) में, "निधि का उपयोग सदस्यों" शब्दों के पश्चात्, ", रजिस्ट्रार, परामर्शी और केंद्रीय सरकार के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 28 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में, "केंद्र एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा, जो मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करेगा ।" शब्दों के स्थान पर, "केंद्र, मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों का पैनल बनाने और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करने के लिए एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा ।" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 31 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 15 के खंड (क) के अधीन, माध्यस्थम् और अन्य प्रकार के विकल्पी विवाद समाधान तंत्र के संचालन की रीति ;

(कक) समय और स्थान तथा बैठकों में समिति के कार्य संचालन के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियम जिसके अन्तर्गत धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन गणपूर्ती भी है ;"।

धारा 34 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के परंतुक में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र स्थापित करने का उपबंध करता है । तदनुसार, देश में सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के लिए नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र स्थापित किया गया है । अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1), नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को राष्ट्रीय महत्ता की एक संस्था के रूप में घोषित करती है ।

2. तथापि, यह अनुभव किया गया है कि केंद्र एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था होने के नाते, नगर केन्द्रित होने का आभास देती है जबकि यह भारत को सांस्थानिक माध्यस्थम् और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम हब के रूप में स्वयं को स्थापित करने की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। अतः, केंद्र के नाम को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र से भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में परिवर्तन करना अनिवार्य समझा गया है जिससे विधि द्वारा इसे प्रदत्त राष्ट्रीय महत्ता की संस्था होने की एक विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो और यह अपने वास्तविक उद्देश्य को प्रतिबिंबित करे। अधिनियम के अधीन कतिपय पारिणामिक संशोधनों को करने का भी प्रस्ताव है ।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 जुलाई, 2022

किरेन रीजीजू

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 9 नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 15 के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है ।

2. धारा 15 का खंड (क) उपबंध करता है कि प्रस्तावित भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों, माध्यस्थम और विकल्पी विवाद समाधान तंत्र के अन्य प्ररुपों, के संचालन की रीति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

3. वे विषय जिनके संबंध में उपरोक्त उपबंधों के अधीन विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रशासनिक ब्यौरों और प्रक्रिया के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।।

उपाबंध

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 17) से उद्धरण

* * * * * *

सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के लिए नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना तथा उसका निगमन करने और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए उपक्रमों को नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए, जिससे नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को संस्थागत माध्यस्थम् का केन्द्र बनाया जा सके और उसे एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करने के लिए तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

* * * * * *

और अन्तरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के, जिनके अंतर्गत उसके प्रादेशिक कार्यालय भी हैं, उसके कार्यकलापों में कोई हस्तक्षेप किए बिना और एक सोसाइटी के रूप में उसके चरित्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना कार्यभार को संभालना, किंतु उसकी विद्यमान अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का उपयोग करना, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लोक निधियों का उपयोग करते हुए की गई है, और नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक सुदृढ़ संस्था का घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए निगमन करना समीचीन हो गया है ;

और त्वरित तथा दक्ष विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करके नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को, उसके एक प्रमुख माध्यस्थम् हब के रूप में समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय महत्ता की एक संस्था के रूप में घोषित करना आवश्यक समझा गया है ;

* * * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 है ।

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केंद्र" से धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है ;

* * * * * *

अध्याय 2

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन ।

3. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगी ।

* * * * * *

नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की राष्ट्रीय महत्ता की संस्था के रूप में घोषणा ।

4. (1) नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था बनाते हैं, अतः, यह घोषित किया जाता है कि नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था है ।

* * * * * *

केन्द्र के कृत्य ।

15. धारा 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्र निम्नलिखित के लिए प्रयास करेगा,—

(क) अत्यधिक वृत्तिक रीति में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थमों और सुलह के संचालन को सुकर बनाने;

* * * * * *

केन्द्र की बैठकें ।

20. (1) * * * * *

(5) ऐसे सभी प्रश्नों, जो किसी बैठक के दौरान केन्द्र के समक्ष आते हैं—

(क) का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास निर्णायक मत होगा ;

(ख) के संबंध में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और केन्द्र उनका निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा:

परंतु जहां ऐसे किसी आवेदन का निपटारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सका था, वहां केन्द्र उक्त आवेदन का उस अवधि के भीतर निपटारा न करने के लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा ।

* * * * * *

सचिवालय ।

23. (1) केन्द्र का एक सचिवालय होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) रजिस्ट्रार जो केन्द्र के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा ;

* * * * * *

केन्द्र की निधि ।

25. (1) * * * * *

(3) निधि का उपयोग सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों के संदाय की पूर्तियों के लिए और केन्द्र के व्ययों के लिए किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं ।

* * * * * *

अध्याय 5

माध्यस्थम् चैंबर और माध्यस्थम् अकादमी

माध्यस्थम् चैंबर ।

28. (1) केन्द्र एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा, जो मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करेगा ।

* * * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

* * * * * *

(ङ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थम् पूल में प्रवेश के लिए मानदंड ; और

* * * * * *

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *